

कर प्रणाली को सीधा और सरल होना चाहिए : विधान सभा अध्यक्ष

जी०एस०टी० आजादी के बाद आर्थिक सुधारों  
के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम : मुख्यमंत्री

इसके लागू होने से 'एक देश-एक टैक्स' की अवधारणा वास्तविक आकार लेगी

जी०एस०टी० व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में है

प्रबोधन कार्यक्रम से विधान सभा में होने वाली  
बहस को नयी गरिमा और ऊँचाई मिलेगी

पी०आर०एस० लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज  
ने विधायकगण को जी०एस०टी० एक्ट के विभिन्न प्राविधानों  
और पहलुओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी

मुख्यमंत्री ने जी०एस०टी० विषय पर विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया

लखनऊ : 15 मई, 2017

उत्तर प्रदेश के विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी ने कहा है कि कर प्रणाली को सीधा और सरल होना चाहिए। महाभारत के शान्तिपर्व में कहा गया है कि जिस प्रकार भौरा फूल को नुकसान पहुंचाये बिना पराग हासिल करता है, करों की व्यवस्था वैसी ही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सम्भवतः ऐसी बातों को ध्यान में रखकर जी०एस०टी० कानून पारित कराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विधायन विशेषकर आर्थिक विषयों पर विधि निर्माण जटिल कार्य है। विधि का प्रभाव सीधे तौर पर जनमानस पर पड़ता है। इसलिए विधायकों को विधेयकों के विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी आवश्यक है।

विधान सभा अध्यक्ष आज यहां लोक भवन में आयोजित जी०एस०टी० विषय पर पी०आर०एस० लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज द्वारा

विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि लोक सभा और राज्य सभा द्वारा सांसदों के प्रबोधन के लिए इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। उसी परिपाटी पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। पी०आर०एस० संस्थान द्वारा इस विषय सहित अन्य विषयों पर सांसदों और अन्य प्रदेशों के विधायकों का प्रबोधन किया गया है।

प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करने के पश्चात अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जी०एस०टी० आजादी के बाद आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम है। इसके लागू होने से 'एक देश-एक टैक्स' की अवधारणा वास्तविक आकार लेगी। जी०एस०टी० व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में है। इससे अनेक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी तथा व्यापारियों को भी अपने कर खातों को व्यवस्थित करने में सरलता होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान लागू कर प्रणाली के अन्तर्गत एक वस्तु पर कई बार कर लगने के साथ ही कर पर कर लगने की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अलग-अलग करों को समाहित करते हुए एक कर प्रणाली लागू करने के लिए जी०एस०टी० कानून को पारित कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद सहित 8 राज्यों द्वारा जी०एस०टी० विधेयक को पारित किया जा चुका है। प्रदेश की विधान सभा में भी आज इस विधेयक को पुरःस्थापित कर दिया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि जी०एस०टी० विधेयक पारित करने वाला उत्तर प्रदेश 9वां राज्य बनेगा।

जी०एस०टी० पर विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम के आयोजन हेतु विधान सभा अध्यक्ष को साधुवाद देते हुए योगी जी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को जनता पर प्रभाव डालने वाले जी०एस०टी० जैसे विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इससे विधान सभा में चर्चा के दौरान विधायकगण को अपनी बात रखने में

सरलता होने के साथ ही, विधान सभा में होने वाली बहस को नयी गरिमा और ऊँचाई मिलेगी।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां उपभोक्ताओं की संख्या भी सर्वाधिक है। इसलिए जी0एस0टी0 के लागू होने से राजस्व में प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों के राजस्व में कमी पर केन्द्र सरकार द्वारा 5 साल तक भरपाई के प्राविधान के लिए भारत सरकार को बधाई दी जानी चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान पी0आर0एस0 लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज की टीम ने विधायकगण को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जी0एस0टी0 एक्ट के विभिन्न प्राविधानों और पहलुओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी। प्रस्तुतिकरण के पश्चात पी0आर0एस0 की टीम ने विधायकगण के प्रश्नों के उत्तर भी दिये।

इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति श्री रमेश यादव, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ0 दिनेश शर्मा सहित मंत्रिपरिषद के अनेक सदस्य, प्रमुख विधान सभा सचिव उपस्थित थे।